

समाहरणालय, पटना

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612- 2219116(का०)
फैक्स नं०- 0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ० बजट आवंटन-24/2013-74 (आवंटन)/कृ० पटना दिनांक 26.07.2013 द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-01-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड- P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-56 83, विषय शीर्ष 33.01-सब्सिडी में पटना जिला को कुल 97,14,855.00 (सन्तानबे लाख चौदह हजार आठ सौ पचपन) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 831/आ०प्र० दिनांक 02.08.2013 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया है। पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/2013-79 आवंटन/कृ० पटना दिनांक 06.08.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष, 2013-14 में व्यय बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या-01-उप शीर्ष-0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड- पी.2401001090103, राज्य स्कीम कोड-ए.जी.आर. 56 83, विषय शीर्ष 33 01-सब्सिडी में पटना जिला को कुल 99,96,445/- (निन्नाबे लाख छियानबे हजार चार सौ पैतालीस) रुपये डीजल अनुदान मद में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 915/आ०प्र० दिनांक 20.08.2013 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया है।

पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ० बजट आवंटन-24/2013-109 (आवंटन)/कृ० पटना दिनांक 20.08.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष, 2013-14 में व्यय बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या-01-उप शीर्ष-0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड- पी.2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-ए.जी.आर. 56 83, विषय शीर्ष 33 01-सब्सिडी में पटना जिला को कुल 84,47,700/- (चौरासी लाख सैंतालीस हजार सात सौ) रुपये चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीज स्थली में बिचड़ा को बचाने, बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गए खड़े फसल की सिंचाई करने एवं मक्का की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान मद में आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न रूपेण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित करते हुए संबंधित कोषगार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि की निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम	खरीफ मौसम मे धान एवं मक्का का रकवा (हेक्टेयर में)	पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में)	पूर्व में द्वितीय किश्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में)	वर्तमान में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में)	कुल योग (4+5+6) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्र०वि०पदा०, पटना सदर	994	76050	78250	66126	220426
2	प्र०वि०पदा०, फुलवारी शरीफ	6534	499912	514410	434712	1449034
3	प्र०वि०पदा०, सम्पतचक	4517	345592	355610	300515	1001717
4	प्र०वि०पदा०, फतुहा	5793	443218	456066	385408	1284692
5	प्र०वि०पदा०, खुशरूपुर	3611	276275	284284	240240	800799
6	प्र०वि०पदा०, दनियार्वी	2647	202520	208390	176104	587014
7	प्र०वि०पदा०, मसौड़ी	11460	876798	902210	762431	2541439
8	प्र०वि०पदा०, धनरूआ	7245	554310	570378	482009	1606697
9	प्र०वि०पदा०, पुनपुन	5048	386220	397414	335842	1119476
10	प्र०वि०पदा०, दानापुर	4662	356686	367029	310166	1033881
11	प्र०वि०पदा०, मनेर	4490	343528	353484	298720	995732
12	प्र०वि०पदा०, बिहटा	10497	803120	826400	698366	2327886
13	प्र०वि०पदा०, बिक्रम	9041	691720	711770	601496	2004986
14	प्र०वि०पदा०, दुल्हिन बाजार	6024	460892	474250	400775	1335917
15	प्र०वि०पदा०, पालीगंज	13972	1068990	1099974	929556	3098520
16	प्र०वि०पदा०, नौबतपुर	11961	915128	941654	795764	2652546
17	प्र०वि०पदा०, बाढ़	2630	201220	207050	174970	583240

18	प्र0वि0पदा0, अथमलगोला	2542	194486	200124	169118	563728
19	प्र0वि0पदा0, बेलछी	2361	180640	185874	157076	523590
20	प्र0वि0पदा0, बख्तियारपुर	3940	301446	310184	262130	873760
21	प्र0वि0पदा0, पंडारक	3248	248502	255706	216090	720298
22	प्र0वि0पदा0, मोकामा	1726	132056	135882	114830	382768
23	प्र0वि0पदा0, घोसवरी	2033	155546	160052	135256	450854
	कुल उपावंटित राशि-	126976	9714855	9996445	8447700	28159000

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड- P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-56 83, विषय शीर्ष 3301-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3729/कृ0 दिनांक 24.07.2013 में निहित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई राशि का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2री तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि व्यय के पश्चात टी0भी0 सं0 के साथ व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड एवं मांग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृपया एक विपत्र पर एक ही उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. उपावंटित राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने पर अगर माँग अवशेष बचता हो तो अतिरिक्त राशि की माँग संबंधित सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र भेजा जाय ताकि राशि की माँग राज्य सरकार से किया जा सके।

6. यह उपावंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपर्युक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.12.2013 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर इसे बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,

पटना।

ज्ञापांक 1030

आ0प्र0, दिनांक 09/09/2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, मसौढ़ी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि:- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,

पटना।